MR. SPEAKER : Please conclude now.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : में इस का एक और अंश पढ़ना चाहता हूं :

"But now at Madurai, some students have formed as members into an association and on 15-10-1967 they went in a group and forcibly got letters from some Theatre proprietors promising they would not screen any Hindi film."

पत्र में आगे लिखा गया है कि स्वेच्छा से वे हिन्दी-प्रचार का जो प्रयत्न कर रहे हैं, उस में बाधा डाली जा रही है ।

SHRI ANBAZHAGAN : It is also a voluntary objection.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरा निवेदन है कि अगर हम सचमुच केन्द्र में हिन्दी को लाना चाहते हैं, तो इस प्रकार का विधेयक पास करने की ज़रूरत नहीं है । इस प्रकार के विधेयक से हिन्दी पीछे जायेगी और अंग्रेजी का प्रभुत्व जारी रहेगा । इसलिए में मांग करूंगा कि इस विधेयक को वापस ले लिया जाये ।

प्रधान मंत्री कहती हैं कि यह विधेयक दोनों दृष्टिकोणों में एक समझौता है, एक समन्वय है । अभी में ने यह कहा है कि यह समझौता नहीं है, यह अंग्रेजी के सामने समर्पण है, यह अंग्रेजी को अनन्त काल तक बनाए रखने का प्रयत्न है । हम इस प्रयत्न में भागीदार नहीं बनेंगे । हम समझौते के लिए तैयार हैं । हम अंग्रेजी को अविलम्ब हटाने की मांग को छोड़ने के लिए तैयार हैं । हम हिन्दी और अंग्रेजी के लिए बराबरी चाहते हैं । हम हिन्दी और अंग्रेजी जानने वाले कर्मचारियों के लिए काम करने की पूरी छूट चाहते हैं । जहां चिट्ठी जाये, अनुवाद वहां पर होना चाहिए । अगर केन्द्रीय मंत्रालयों के एक दूसरे के साथ और मंत्रालयों के भीतर आपस में हिन्दी में काम करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जायेगा, तो हम अपने विरोध को वापस लेने के लिए तैयार हैं । हम समझौते के लिए तैयार हैं । बाकी लोग इस के लिए तैयार हैं या नहीं, यह वे अपने आचरण से बतायें, इस विधेयक में संशोधन ला कर बतायें ।

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहती हूं । मैं केवल कुछ थोड़े से शब्द कहना चाहती हूं ।

धर्म के बाद भाषा ही एक ऐसी वस्तु है, जो वफ़ादारी और जोश की भावनायें पैदा करती है । हमने इस सदन में भी इतना जोश देखा और सदन के बाहर भी काफ़ी ऐसे कार्य देखे, जिन को शायद जोश कह सकते हैं । जैसा कि श्री वाजपेयी ने कहा है, हो सकता है कि विद्यार्थी अपने रोजगार के बारे में परेशान हैं ।

लकिन सवाल यह है कि भाषा किस लिए होती है । अनेक सदस्यों ने यहां कहा है—कल में ने कई भाषण सुने— कि एक दूसरे से बोल-चाल के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए, अपना रोज का काम करने के लिए, अपनी जामकारी को बढ़ाने के लिए, एक दूसरे को नजदीक लाने के लिए—

श्री जी० भा० कृपालानी : लड़ने के लिए भी ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : . . . . .भाषा होती है और ये सब भाषा के कार्य हैं । विचारों के भंडार में बराबर का हिस्सा लोगों को मिले, इस के लिए भी भाषा है । लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं ? भाषा एक दूसरे के बीच में एक दीवार हो रही है और, जैसा कि आचार्य कृपालानी ने कहा है, वह एक दूसरे के बीच में लड़ाई का माध्यम बन गई है और यह दुख की बात है । भाषा विज्ञान और विचारों का समन्वय करती है— या उसे ऐसा करना चाहिए— और इस लिए भाषा से एकता आनी चाहिए । ये दीवारें जो खड़ी हो गई हैं, इन को कैसे तोड़ें, यह प्रश्न हमारे सामने है ।

श्री पीलू मोदी : मारेटोरियम से।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मारेटोरियम से दीवारें टूटेंगी या और बढ़ेंगी, यह एक विचार-जनक बात है। मैं मानती हूं कि इस समय जो बाहर हो रहा है, वह इस से थमेगा नहीं, बल्कि और बढ़ेगा, जो काम हम हाथ में लेते हैं, उस को उसी समय पूरा करना अच्छा होता है। लम्बा चलाने से उस का कभी उल्टा असर हो सकता है।

मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूं और वह यह है कि किस देश में भाषा राजनीति से बनी जो अंग्रजी आज एक बड़ी भाषा है, और दुनिया के बहुत से देशों में फैल रही है और ऊंचे स्तर पर पहुंची है। ह्वाइट हाल में जो मिसलों की भाषा होती थी, क्या उनके कारण वह भाषा बनी है? या इंग्लिस्तान के कवियों ने, लेखकों ने, नाटक लिखने वालों ने और व्यापारियों ने भी जो दुनिया के कोने कोने में घूमे, उन्होंने बढ़ाया है? हम यह न समझें कि सरकारी काम से ही केवल भाषा बढ़ती है या बनती है और वह न होगा तो वह भाषा खत्म हो जायगी। हमारे देश में हमारी जो राजभाषाएं थीं, वह दबाई गई। इसलिए यह स्वाभाविक था कि आजादी के आन्दोलन के जमाने में और हम आजाद हुए उसके बाद भी लोगों की भावनाएं उन के बारे में एक विशेष तरह की हों और उन को बढ़ाने की इच्छा हो। खाली भावना का प्रश्न नहीं है, मैं मानती हूं कि देश के लिए यह जरूरी भी है। हमारे मित्र श्री मोदी ने कहा कि गरीबी को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो बढ़ावे का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि हमारे देश में बहुत से लोग हैं जिनको गरीबी के कारण, पिछड़ेपन के कारण मौके नहीं मिले, न शिक्षा में, न नौकरी में, न बहुत सी और चीजों में जो हम थोड़े से लोगों को प्राप्त हुई। मैं मानती हूं कि उन लोगों की शिक्षा केवल मातृभाषा में हो सकती है। और इसलिए यह आवश्यक है कि सब राज्यों में व शिक्षा मातृभाषा में हो और जो तबके अभी तक दबे थे, जिनको अवसर नहीं मिल रहे थे उनको हम वसर दें शिक्षा प्राप्त करने का, कुछ सूरज की रोशनी में भाग लेने का और देश का जो विकास होता है उस से भी कुछ लाभ उठाने का। लेकिन फिर हिन्दी बीच में कैसे आई? कुछ देशों में दो भाषाएं हैं, जैसे कि बेल्जियम में। स्विटज़रलैंड और यूगोस्लाविया में तीन या चार भाषाएं हैं। हमारे देश में पन्द्रह भाषाएं हैं। और हमारा देश उतना ही बड़ा भी है दूसरे देशों से, इसलिए यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि इतनी भाषाएं हों। अब हमारी पूरी कोशिश है कि यह सब भाषाएं आगे बढ़ें। इनमें वहां की जनता शिक्षा प्राप्त करे। और राज्य का काम भी इन भाषाओं में हो। मैं मानती हूं इस बात पर किसी के दो मत नहीं हैं। लेकिन केन्द्र का काम १५ भाषाओं में नहीं चल सकता चाहे हमें कितनी ही प्रिय वह भाषाएं हों, हम हर एक भाषा का आदर करें, लेकिन तब भी इतनी भाषाओं में काम संभव नहीं है। इसलिए यह सोचा गया कि एक भाषा, राष्ट्रीय कड़ी बने और वह भाषा हिन्दी चुनी गई। अब मैं पूरी तरह से जानती हूं कि जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है उन के लिए कठिनाई जरूर पैदा होती है। कुछ हमारे दक्षिण के दोस्तों ने कहा कि हिन्दी एक ऐसी भाषा है जो विकसित नहीं है। जब तक लोग इसे बोलेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, इस को बढ़ायेंगे नहीं, तब तक इसका विस्तार कैसे होगा। इसीलिए हम उन से कह भी रहे हैं कि इस में भी वह हाथ बटायें। भाषा के उपयोग से ही भाषा बढ़ सकती है। लेकिन मैं अपने दूसरे भाइयों से यह भी कहूंगी कि उपयोग खाली सरकारी दफ्तरों में ही नहीं, उपयोग बाहर होना चाहिए। उसमें अधिक लोग लिखें, उस में किताबों का अनुवाद हो। हम बाकी दुनिया से कुछ अलग क्यों हैं और आजादी के पहले क्यों बिलकुल थे? इसलिए कि बाकी, दुनिया में क्या हो रहा था, क्या नये नये विचार चाहे विज्ञान के, चाहे टेक्नालाजीके आ रहे थे, उस से हम बिलकुल वंचित थे। जब तक हम इस तरह से कटे रहेंगे तब तक हम अपनी भाषा को कितना ही बढ़ायें, आगे नहीं बढ़ सकते।

हमारी भाषाएं बढ़ें तो अच्छा है और आवश्यक भी है उनका बढ़ना लेकिन एक अन्तर्राष्ट्रीय कड़ी का भी होना मैं आवश्यक मानती हूं और अगर हम आज अंग्रेजी को चाहते हैं तो यह बिलकुल नहीं चाहते कि वह राष्ट्रभाषा हो, वह हिन्दी की जगह ले या वह तमिल, बंगला या किसी दूसरे प्रदेश की भाषा की जगह ले। यह नहीं हो सकता और न कोई इसको चाहता है। लेकिन हम यह जरूर सोचते हैं कि आजकल की दुनिया में कोई बाहर की भाषा न जानना हम को कमजोर करेगा और हम को पिछड़ा रखेगा। आज दूसरे जितने देश हैं जिन की अपनी भाषाएं हैं, वहां भी स्कूल में सभी देशों में एक बाहर की भाषा सीखना आवश्यक होता है। वह भाषा चुनने की इजाजत होती है, अंग्रेजी हो, फ्रेंच हो या जर्मन हो या कोई और हो सकती है। लेकिन हम वास्तव में क्या देखते हैं कि आजकल लोग चाहे वह रूस के हों, चाहे दूसरे देशों के हों, वह अंगेजी ज्यादा चुन रहे हैं। अब, हमें एक लाभ है, कि अंग्रेजी का ज्ञान हमें थोड़ा बहुत पहले से ही है। अंग्रेजी सिखाने के साधन थोड़े बहुत हैं। यह मैं मानती हूं कि पहले जितने थे उन से कम हो गए हैं। अंग्रेजी का स्तर बहुत नीचा हो गया है और कभी कभी जो अंग्रेजी बोली जाती है वह एक ढंग से हमारी ही भाषा है। वह शायद किसी दूसरे देश में समझने में न आये। लेकिन यह यह सब होते हुये भी एक कड़ी है। मुझे एक दो कहानी याद हैं। है तो पुराने जमाने की। एक लड़का अंग्रेजी पढ़ रहा था। उस का एक अंग्रेजी का नया मास्टर विलायत से आया था। तो उन्होंने पूछा :

'Shyam, what is your mother-tongue?' He replied 'Hindi, Sir'. Then the master remarked, 'It has some words which sound like English'.

वह लड़का अंग्रेजी ही बोल रहा था, हिन्दी नहीं बोल रहा था। लेकिन उस को सुन कर मास्टर को लगा कि वह दूसरी भाषा बोल रहा था। जिसमें कुछ शब्द अंग्रेजी के थे। यह हमारे देश में होता है। लेकिन वह हमें एक बुनियाद देता है जिससे हम उस भाषा को सीख सकते हैं। हम अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जाते हैं। मगर सम्मेलन की ही बात नहीं है क्योंकि वहां अनुवाद भी हो सकता है। लेकिन जो आपस में बैठ कर बातचीत होती है आजकल के जमाने में जितना काम मिलने पर होता है एक दूसरे से उतना सम्मेलनों में नहीं होता। तो बहुत जरूरी है हमारे लिए कि ऐसी एक कड़ी हो। जैसे हम राष्ट्र की कड़ी चाहते हैं वैसे एक अन्तर्राष्ट्रीय कड़ी हो। इसके यह माने नहीं हैं कि हमें दूसरी भाषाएं नहीं सीखनी हैं। क्योंकि उन से भी रिश्ते रखने हैं।

लेकिन इसमें यह जो रूप इसने लिया है वह एक दूसरी ही चीज है। इस समय जो प्रश्न है जो कई माननीय सदस्यों ने हमारे सामने रखा है वह देश की एकता है। किसी न किसी कारण, गलत हो सकता है या ठीक हो सकता है, दक्षिण के लोगों को यह ख्याल हो गया कि उनकी नौकरियों को खतरा है और इससे आन्दोलन हुए। आज अभी वाजपेयी जी ने कहा कि वही भ्रम उत्तर के विद्यार्थियों को हो गया है। अब कोई रास्ता निकालना है जिससे कि यह भ्रम उनके मन से निकल जाए। जब मैं यह कह रही हूं कि सब मिल कर इस पर बात करें तो यही कारण है कि हम रास्ता निकालें।

अब असलियत क्या है? असलियत यह है कि अंग्रेजी चल रही थी, अच्छी लगे चाहे नहीं, अंग्रेजी चल रही थी। हमने जब हिन्दी को राष्ट्रभाषा कहा तो उससे स्थिति बदली। अब जो हम यह विधेयक ला रहे हैं इससे हिन्दी राष्ट्रभाषा रही। हिन्दी की जगह न कम हुई न उसका महत्व कम हुआ बल्कि साथ-साथ हम कह रहे हैं कि हिन्दी को सिखानें के लिए और जोरों के साथ चेष्टा होगी और यह भी आपने उसमें देखा होगा कि हर साल उसकी रपट सदन के सामने आयेगी, और सदन देख सकेगा कि काम किस तरह से चला, अच्छी तरह से चला या नहीं क्या कमियां हैं? तो वह पूरे तौर से उसको देखा जा सकेगा। जो लोग अहिन्दी भाषी प्रान्त के हैं उनके सामने तो यह समस्या रही कि हिन्दी का सीखना जब वह

[श्रीमती इन्दिरा गान्धी]

रहा है, हिन्दी में जब काम बढ़ेगा तो वह उस नये नक्शे में कैसे बैठेंगे ? यह सवाल है और इसलिए रास्ता ढूंढा गया कि उनके लिए अनुवाद हो और जो लोग अभी नहीं जानते हैं हिन्दी उनके लिए सिखाने का भी प्रबंध हो और उनको कोई कठिनाई न महसूस हो । यह एक रास्ता ढूंढा गया । अब ऐसा एक बीच का रास्ता जब ढूंढते हैं तो आप सभी को मालूम है कि उसके सभी लोग विरोध में हो जाते हैं क्योंकि किसी का भी पूरा रास्ता वह नहीं होता । कुछ बातें उसकी लीं कुछ बात किसी और की ली मनानें की कोशिश में ।

और सभी सोचते हैं कि यह चीज ठीक नहीं है । अब यह लाचारी है क्योंकि किसी की भी इस समय पूरी बात मानी नहीं जा सकती । एक यही हो सकता है कि कोई रास्ता ढूंढें जिसमें थोड़ी-थोड़ी बात सब की आ जाय । इस बात को फिर से दोहराऊंगी जिसे मैं पहले भी अनेक बार कह चुकी हूं कि हमें देश की एकता का ख्याल रखना है । चाहे एक प्रान्त हो या सात प्रान्त हों इस समय सात प्रान्त हैं जो चाहते हैं कि उन को हिन्दी सीखने का मौका मिले और जल्दबाजी न की जाये । थोपनें का शब्द मेरा नहीं है, उनका शब्द है—हिन्दी उन पर थोपी न जाय—सात प्रदेश हैं जो ऐसा चाहते हैं, लेकिन सात न भी हों. . . .

एक माननीय सदस्य : सात नहीं हैं ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : नहीं, सात हैं । मेरी सब प्रान्तों के लोगों से बातें हुई हैं । चाहे जितने भी हों, अगर एक भी है, तब भी हम थोपना नहीं चाहते । उनको भी उतना ही हक है, जितना सब को है और इसमें कोई शक नहीं है कि जिसके पास बहुमत होता है, उसकी जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ती है । जो ज्यादा बड़ा होता है, उसकी जिम्मेदारी बड़ी होती है ताकि दूसरों को यह डर न लगे कि हमको दबाया जा रहा है । हमें खुशी है कि हमारे दक्षिण के भाई भी कहते हैं कि वे हिन्दी सीखेंगे और उन को मौका दिया जाय ।

अब मैं मानती हूं वे अपने पहले मत से कुछ थोड़ा-बहुत आगे बढ़े हैं और हिन्दी के लिए यह बहुत बड़ी बात है । मैं मानती हूं कि इन दिनों हिन्दी की कुछ हार भी हुई और किस चीज में हार हुई है ? कुछ लोगों नें सोचा कि यह मसला सड़क पर तय हो सकता है, सदन में तय करने का नहीं है । वाजपेयी जी ने कहा कि बच्चों को कोई उकसाता नहीं है । हो सकता है कि कोई न उकसाता हो, लेकिन मैं याद दिलाऊं कि कुछ राजनीतिक दलों के मंत्रियों ने भी इसमें भाग लिया है । . . . .

श्री रवि राय : अच्छा किया है ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : अच्छा किया है या बुरा—मैं अपनें विचार यहां प्रकट कर रही हूं, आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं । मैं मानती हूं कि यह देश के लिये बहुत खतरनाक है कि कोई भी विषय इस तरह से सड़कों पर लाया जाय । अगर वह सोचते हैं कि जो दक्षिण के लोग यहां आते हैं, उनकी मोटरों को तोड़ा जाय—जैसा कि कुछ भाइयों ने किया, उनको मारा गया—पता नहीं मारा गया या नहीं . . .

श्री राम सेवक यादव : इस चीज का पर्दा-फाश करना चाहिये ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : लेकिन अगर यह बातें होती हैं—मारे गये या नहीं, यह सच है या नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो उन लोगों के दिलों में क्या हिन्दी पढ़ने की रुचि बढ़ेगी—यह मैं आपसे पूछना चाहती हूं ? वह इस तरह कभी हिन्दी सीखना नहीं चाहेंगे ।

आपने कहा कि इन लोगों को नहीं मारा गया, लेकिन हमको मालूम है—हमारी एक बहिन हैं, जिनके ऊपर हमला हुआ, उनकी 10 वर्षीय लड़की पर हमला करने की कोशिश की गई, उनकी मोटर को तोड़ा गया और वह कैसी बहिन थीं ? जो हिन्दी चाहती हैं, हिन्दी के बारे में हमेशा बोलती रहती हैं, उन पर हमला हुआ और उनके पति से कहा गया

कि आप उनकी तरफ से आश्वासन दें कि वह इस बिल . . .

श्री स० मो० बनर्जी : मेरे लड़के से कहा गया, आप मेरी बात क्यों नहीं कहतीं । जिन्होंने हमको वोट दिया है, उनको डिमांस्ट्रेशन करने का हक है ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : डिमांस्ट्रेशन करना एक बात होती है और घर जलाना, बस जलाना, मोटरें जलाना, लोगों को मारना—यह दूसरी बात होती है ।.....

श्री कंवर लाल गुप्ता : आप दफा 144 लगाये रखिये, डिमांस्ट्रेशन न करने दीजिये, जो आये उसको पकड़ कर बैठा लीजिये . . .

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं बैठ नहीं रही हूं, आप मेहरबानी कर के शान्ति से बैठ जाइये ।

श्री कंवर लाल गुप्त : जवाब दीजिये ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं जवाब दे रही हूं । क्योंकि मैं देख रही हूं कि दूसरों के मन में हिन्दी भावना इससे बढ़ नहीं रही है, बल्कि घट रही है । चूंकि मेरा एक ही ध्येय है—मेरा यह ध्येय नहीं है कि डिमांस्ट्रेशन हो या न हो—मेरा ध्येय इस समय यह है कि एक नीति हमने ली है जिससे एक कड़ी बने ऐसे कुछ दल हैं, इस देश में, हमारे इस सदन में भी हैं जो कड़ी नहीं चाहते हैं, जो कहते हैं कि सब भाषाओं को चलने दें—मैं इसको खतरनाक मानती हूं । यह मैं बहुत सफाई से कहूं कि अगर ऐसा होगा, तो देश के टुकड़े हो जायेंगे, देश की एकता, नष्ट हो जाएगी । यही कारण है कि हम हिन्दी को एक कड़ी बनाना चाहते हैं और यही मुख्य, कारण है कि मैं चाहती हूं कि हिन्दी बढ़े । इसीलिये मुझे दुख होता है जब कोई भी ऐसा कदम उठाये, कोई भी ऐसा कार्य करे, जिससे हिन्दी न बढ़े, यानी कड़ी रहने की भावना लोगों के दिलों से चली जाय—यही इस समय हमारे सामने कठिनाई है . . .

श्री राम सेवक यादव : चाह और अमल को एक साथ मिलाइए ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मुझे बहुत खुशी है कि जनसंघ के नेता ने भी हिंसा के बारे में चर्चा की है और कहा है कि हिंसा नहीं होनी चाहिये । इसकी मुझे खुशी है कि जयप्रकाश नारायण जैसे नेता ने भी इस पर एक वक्तव्य दिया है, और विनोबा भावे जी ने भी । उसके परिणाम स्वरूप उन के घर पर भी एक जलूस चला, पता नहीं उनसे बातचीत करने या क्या करने । मैं एक और आश्चर्यजनक बात आपको बतलाऊं—यह मेरे संग नहीं हुई है, सुनी हुई बात करती हूं......

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सुनी हुई बात मत करिये ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : बहुत से हमारे विद्यार्थी भाई जो साइन-बोर्ड वगैरह पोत रहे हैं जो अंग्रेजी के विरोध में बोल रहे हैं—वे स्वयं यह प्रचार अंग्रेजी में ही कर रहे हैं, हिन्दी में नहीं कर रहे हैं । हमारे एक मंत्री ने मुझ से कहा कि जब विद्यार्थी उन से अंग्रेजी में बोले, तो वे बराबर हिन्दी में जवाब देते गये, लेकिन वे अंग्रेजी में ही बोलते गये . . . .

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : गुस्से में हिन्दी वाले अंग्रेजी बोलते हैं ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : एक बात हम और चाहते हैं—बाहर से लोग हमारे देश में आयें । हम चाहते हैं कि टूरिस्ट हमारे देश में आयें, लेकिन जब इस तरह के आन्दोलन हों, चाहे अंग्रेजी के साइनबोर्डों को मिटा दें—तो इस से हमारे देश की कोई मदद होने वाली नहीं है । मेरी यह प्रार्थना है कि आप सब ने जो जोश यहां प्रकट किया है, अपना दिल हल्का किया है, अब आप सब अगर देश की एकता की तरफ सोचते हुये इस विधेयक को मान लें और फिर मिल कर हम लोग देखें कि किस तरह से हम लोग हिन्दी को वाकई सही मायनों में बढ़ा सकते हैं ।

श्री कंवर लाल गुप्त : आप मिलजुल कर बात करिये । आप लोगों से बात कर के, फिर कोई चीज सामने रखिये ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैंने भी बात की है, गृह मंत्री जी ने भी की है, बहुत से लोगों ने की है। लेकिन सवाल यह है कि जब यह बिल पास हो जाता है तो जो दक्षिण और दूसरे अहिन्दी भाषी प्रान्तों के लोग हैं, उन के मन में यह शंका निकल जायगी। अभी हम उन से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि कितने सालों से तुम लोग हम को आश्वासन दिला रहे हो, अब किसी तरह से न टाला जाय। हम जब बात करते हैं— तो वे यही बात कहते हैं। इसलिये पहले यह जो भ्रम उन के दिल में है, उस को हटा देना है और मुझे विश्वास है कि उस के बाद अगर हम सब साथ बैठते हैं तो उसका रास्ता निकाल सकते हैं। इस समय नारे लगाने का सवाल नहीं है, सवाल ठोस कदम लेने का है, जिससे हमारे देश के लोग हिन्दी सीखें और उस को हम एक कड़ी बना सकें। यही थोड़ी सी बातें मैं आपके सामनें रखना चाहती थी।

MR. SPEAKER: Dr. Maitreyee Basu.

SHRI SAMAR GUHA (Contai): Sir, on a point of clarification.

MR. SPEAKER: No please. I have called Dr. Maitreyee Basu.

श्री समर गुह : मैं आपसे यह शिकायत करना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने राष्ट्रभाषा लफ्ज का इस्तेमाल किया है····

MR. SPEAKER: Dr. Maitreyee Basu. I do not allow the hon Member, Shri Samar Guha to interrupt. Those who are quitely sitting should not be prevented; they must get a chance.

SHRI SAMAR GUHA: On a point of order.

MR. SPEAKER: No. I do not want this to happen. This happens every time. Every time you get up, whenever you get up, I must allow you! Others are waiting to speak.

SHRI SAMAR GUHA: The hon. Prime Minister— ****

MR. SPEAKER: No, please. I am sorry. Nothing will be taken down. Whenever you rise, I must allow you. This has become a practice. Nothing will be taken down. I have called Dr. Maitreyee Basu.

17.50 Hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

DR. MAITREYEE BASU (Darjeeling): Sir, I would like to point out a few points— not many—and I would not tire the House. First of all, I would like to point out that this is an official language Bill. This has nothing to do with national language or link language. But these terms—official language, national language and link language are interchanged. This must be made clear to the people that this is an official language Bill.

Now the controversy is between north and south. Some people belong to the south and some to the north. I do not know where I belong to. Are we north or south?

AN. HON. MEMBER: East.

DR. MAITREYEE BASU: But it has not been suggested that there is an East India. Are we bystanders and onlookers? What are we? It is not Bengal alone; there are some other States who will speak for themselves. But I can say on behalf of Bengal that we do not know whether we are north or south. South is confined to four States. I do not know how many States north is confined to. But we seem to hang in the air. This is making our position very difficult. South can give expression to their feelings very vociferously as they are doing here. So does the north. We are keeping more or less silent. I was telling my southern friends that we are appreciating that they are fighting the battle on our behalf.

AN HON. MEMBER: You join with us.

DR. MAITREYEE BASU: I have joined with you in spirit. When I spoke on the Kothari Commission report, I did say, why consider English to be a foreign language? English is not spoken nowadays only by the English people, but by

***Not recorded.